अन्तिम डिक्री

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ऋषभदेव
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट – ग्राम पंचायत भूधर)

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश सुराणा (RAS)

उनवान

श्री चम्पा पिता स्व. श्री रागु जी मीणा **बनाम** श्री देवा पिता श्री धर्मा मीणा वगैराह
निवासी गोड़पाड़ा, भूधर, तहसील ऋषभदेव निवासी गोड़पाड़ा, भूधर, तहसील ऋषभदेव

दावा बाबत :– धारा 88, 188 RT एक्ट 1955 बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व शाश्वत निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 183/2016 रा.वा.

निर्णय दिनांक :– 30.05.2017

वादी की ओर से श्री चम्पा व प्रतिवादीगण की ओर से श्री देवा, मगन व प्रतिवादी नंबर 4 इलाहाबाद बैंक जरिये ब्रांच मैनेजर भूधर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.05.2017 को शैलेश सुराणा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर– आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –मौजा भूधर की वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 112 में दर्ज कृषि भूमि कुल किता 16 कुल रकबा 3.28 हेक्टेयर, मौजा मगराबावसी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 40 में दर्ज कृषि भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 हेक्टेयर तथा मौजा गोड़पाड़ा की वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 64 में दर्ज आराजी नंबर 3441 रकबा 0.54 हेक्टेयर कृषि भूमि में वादी को 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है तथा इन्ही जमाबंदी खातों में शेष रही 1/2 हिस्सा भूमि में से गांव भूधर में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमशः श्री अमु व श्री मगन का 1/6 – 1/6 हिस्सा तथा गांव मगराबावसी एवं गांव गोड़पाड़ा में प्रतिवादी संख्या 2 श्री अमु का सम्पूर्ण हिस्सा इलाहाबाद बैंक शाखा भूधर के पक्ष में रहन दर्ज रहेगा। प्रतिवादीगण के सहमत होने से स्थाई निषेधाज्ञा की दाद नही दी जाती है। माफिक घोषणा तहसीलदार ऋषभदेव राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

30/05/17

(शैलेश सुराणा)
(पीठासीन अधिकारी)
उपखंड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ऋषभदेव

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1.00	अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल	2.00		
जोड	5.00	जोड	2.00